



राजस्थान सरकार
सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर-तृतीय, कलेक्ट्रेट, जयपुर (राज.)

क्रमांक : 1030

दिनांक 15.10.2026

आम सूचना / जनसुनवाई

राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 28, सितम्बर 2026 के माध्यम से जयपुर मेट्रो फेज-II (प्रहलादपुरा-टोड़ी मोड़ कॉरिडोर) के निर्माण हेतु निम्नांकित गावों में भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान नियम 2016 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के द्वारा जयपुर मेट्रो फेज-II (प्रहलादपुरा-टोड़ी मोड़ कॉरिडोर) के निर्माण हेतु निम्नांकित गावों में भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमि अर्जन से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) किया जाना प्रावधानित है। इस बाबत निम्न प्रभावित गाँव में भूमि अर्जन हेतु जन-सुनवाई का आयोजन किया जाना है, जिसमें समस्त प्रभावित व्यक्तियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

क्र.सं.	तहसील	गाँव का नाम	दिनांक	स्थान	समय
1	रामपुरा डाबड़ी	हरमाड़ा, नींदड़ एवं उदयपुरिया	12.11.2026	पंचायत भवन उदयपुरिया	प्रातः 11:00 से सायं 5:00 बजे तक
2	सांगानेर	मथुरावाला उर्फ राजपुरा, मानपुरा नांगलिया, बीलवा कलां, बड़ी का बास, सीतारामपुरा उर्फ सीतापुरा, सुखपुरा, श्योपुर, बम्बाला, सांगानेर, खोखावास, सूरजपुरा घाटी, दुर्गापुरा, चैनपुरा एवं सवाई गेटोर	13.11.2026	सेक्टर-3 सामुदायिक हॉल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, प्रताप नगर, जयपुर	प्रातः 11:00 से सायं 5:00 बजे तक
3	जयपुर	मानपुरा देहरी (मीनावाला), रामपुरा रुपा, भोजपुरा, भवानी शंकरपुरा, किशनपोल, हथरोई, बस्सी सीतारामपुरा, बीड सरकारी एवं महापुरा उर्फ कुकरखेड़ा	14.11.2026	सामुदायिक भवन (JDA), सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर	प्रातः 11:00 से सायं 5:00 बजे तक

**सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर-तृतीय,
कलेक्ट्रेट, जयपुर (राज.)**

राज.संवाद / सी / 26 /